संदर्भ सं.राबैं.पुनर्वित्त / 306 / ए-1 (जन) / 2020-21

परिपत्र सं. 219 /पुनर्वित्त- 74 /2020

11 अगस्त 2020

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
अधयक्ष और प्रबंध निदेशक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक

महोदय

मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना - वर्ष 2020-21 के लिए नीति	**Provision of Short-Term (ST) refinance to RRBs for financing Seasonal Agricultural Operations (SAO) - Policy for F. Y. 2020-21**
कृपया 24 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं. 232/ पुनर्वित्त -63/2019 देखें जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के तहत मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नाबार्ड की नीति की सूचना दी गई है. हम सूचित करते हैं कि हमने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) नीति की समीक्षा की है और ग्रामीण वित्त पोषण में आरआरबी द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए और निर्दिष्ट जिलों (सूची संलग्न) में किफायती ऋण को बढ़ावा देने के लिए, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, पात्रता मानदंड में परिवर्तन प्रदान किए गए हैं, विस्तृत नीति अनुबंध I में दी गई है.	Please refer to our Circular No. 232/ DoR-63/2018 dated 24 July 2019, communicating NABARD's policy for F. Y. 2019-20 for provision of short-term refinance to the Regional Rural Banks (RRBs) under Sec. 21(1) of the NABARD Act, 1981, for financing Seasonal Agricultural Operations (SAO). We advise that the ST (SAO) Refinance Policy for F. Y. 2020-21 has since been reviewed and the changes have been provided in the eligibility criteria keeping in view the role played by RRBs in rural financing and to boost the affordable credit in specified districts (list enclosed) where the credit flow is comparatively low. The detailed policy is enumerated in Annexure I.
2. जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने संसाधनों को मिलाकर प्रत्येक उधारकर्ता/किसान को 7% प्रति वर्ष या इससे कम दर पर रु.3 लाख तक के फ़सली ऋण	2. The rate of interest on refinance will be 4.5% p.a. during the year 2020-21, (subject to revision, if any, by Govt. of India) for only those RRBs which provide, including their own involvement, crop

प्रदान करते हैं उनके लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष होगी, (भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो के अधीन). बैंक को अनुबंध II के अनुसार इस आशय का वचनपत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा.	loans up to Rs 3.00 lakh per borrower at 7% p.a. or less. The Bank is required to furnish an undertaking to this effect as per Annexure II.
3. आप अपनी शाखाओं को रुपे कार्ड जारी कर केसीसी योजना का कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देने की सलाह दें. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केसीसी की मासिक प्रगति एनशूर पोर्टल पर रिपोर्ट करनी होगी.	3. You may advise all the branches to accord top priority for implementation of KCC scheme by issuance of RuPay Card to the borrowing members. RRBs are also required to report the monthly progress with regard to KCCs on the ENSURE portal.
4. वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्वित्त आबंटन के बारे में हमारा क्षेत्रीय कार्यालय आपके बैंक को अलग से सूचित करेगा. आप पहले आहरण के साथ समग्र ऋण सीमा की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रोफ़ार्मा में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन कर सकते हैं.	4. Refinance allocation for your Bank for the year 2020-21 will be communicated to you, by our Regional Office (RO). You may submit an application for sanction of credit limit along with the first drawal, as per the prescribed proforma to the concerned RO of NABARD.
5. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दे.	5. Please acknowledge receipt of this letter to our Regional Office.

भवदीय

एल. आर. रामचंद्रन

(एल आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

अनुबंध Annexure I

मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त का प्रावधान - वर्ष 2020-21

Provision of Short-Term refinance by NABARD to RRBs for financing Seasonal Agricultural Operations - Policy for F. Y. 2020-21

1. अल्पावधि (मौकृप) सीमा Operative period of ST (SAO) limit

वर्ष 2020-21 के लिए अल्पावधि (मौकृप) सीमा की परिचालन अवधि **01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021** होगी. केवल परिचालन अवधि के दौरान संवितरित फसल ऋणों के लिए ही बैंकों को अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.

The operative period of ST (SAO) limit **for F. Y. 2020-21 is 01.04.2020 to 31.03.2021**. ST (SAO) refinance will be provided to the Banks in respect of crop loans disbursed only during the operative period.

2. समेकित सीमा की मंजूरी Sanction of consolidated limit

(क) बैंकों को यह सीमा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की **धारा 21(1)(i)**के साथ पठित **धारा 21(4)** के अंतर्गत बैंक द्वारा निष्पादित माँग वचन पत्र के समक्ष मंजूर की जाएगी.

a) The limit will be sanctioned to Banks under **Sec. 21(1) (i)** read with **Sec. 21(4)** of the NABARD Act, 1981 against DPN executed by Bank.

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्येक आहरण के समय लिखित में घोषणा करनी होगी कि प्रस्तुत आहरण और प्राप्त पुनर्वित्त अल्पावधि (मौकृप) के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों के समक्ष हैं और पर्याप्त अनतिदेय ऋणों से रक्षित हैं. बैंकों को नियमित रूप से नाबार्ड को एनओडीसी को, या तो कागजी रूप से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रस्तुत करना आवश्यक है.

b) RRB has to declare in writing, at the time of each drawal that the drawal preferred and the refinance already availed are against the loans provided by RRBs and are covered by adequate non-overdue loans. Banks are required to submit NODC statement to NABARD regularly either in physical form or through digitized platform.

3. पात्रता मानदंड / Eligibility norms

3.1 लेखापरीक्षा Audit

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा पूरी हो जानी चाहिए और वित्तीय विवरणों सहित संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त हो चुकी हो. इसके अलावा, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखापरीक्षा 30 जून 2020 तक पूरी हो जानी चाहिए. 01 जुलाई 2020 को या इसके बाद उन्हीं बैंकों के लिए ऋण सीमा की स्वीकृति और आहरणों की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और जिन्होंने नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित लेखा-परीक्षा प्रस्तुत कर दी है.

Audit of RRBs for the year 2018-19 should have been completed and the relative audit reports along with financial statements should have been received by the concerned Regional Office of NABARD. Further, the audit of Regional Rural Banks as on 31.03.2020 should be completed and the report submitted by 30.06.2020. Sanction and drawals on or after 01.07.2020 will be permitted only to such RRBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD.

3.2 सीआरएआर (CRAR) और शुद्ध अनर्जक आस्तियां का अनुपालन Compliance with CRAR and net NPA norms

9% और उससे अधिक के सीआरएआर वाले आरआरबी पात्र होंगे। शुद्ध ऋण और अग्रिम के 12% तक नेट एनपीए वाले बैंक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आरआरबी के लिए शुद्ध एनपीए मानदंड में निवल ऋण और अग्रिम बकाया के 15% तक छूट दी गई है। नेट एनपीए बैंक के लिए पूरे आरआरबी के रूप में माना जाएगा न कि उसकी शाखाओं के स्तर पर।

RRBs having CRAR of 9% and above will be eligible. The Banks with Net NPAs upto 12% of net loans and advances outstanding will be eligible for refinance. Net NPA criteria for RRBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands has been relaxed to upto 15% of net loans and advances outstanding. Net NPAs will be reckoned for the Bank as a whole and not at the level of RRB branches.

3.3 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान पात्रता मानदंड 31 मार्च 2019 की या (उपलब्ध हो तो) 31 मार्च 2020 की लेखा-परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगी. 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए 31 मार्च 2020 की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर होगी. 01 जुलाई 2020 को या इसके बाद उन्हीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण सीमा की स्वीकृति/आहरणों की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और जिन्होंने नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित लेखा-परीक्षा प्रस्तुत कर दी है.

Eligibility criteria during 01 April 2020 to 30 June 2020 will be based on their audited financial position as on 31.03.2019 or 31.03.2020 (if available). From 01st July 2020 to 31st March 2021, eligibility criteria will be based on their audited financial position as on 31.03.2020. Sanction/ Drawals on or after 01.07.2020 will be permitted only to such RRBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD.

3.4 सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय अनुपात की स्थिति पात्रता के लिए आधार बनेगी. तथापि, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट में किसी अंतर के होने की स्थिति में, पात्रता का निर्धारण करने के लिए नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट को आधार माना जाएगा. बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से, बैंक पात्रता मानदंड को पूरा करने में असमर्थ रेहता है तो, नाबार्ड पर्याप्त सुरक्षा के साथ कम पात्रता मानदंडों पर विचार कर सकता है.

Position of financial ratios as indicated in the statutory audit report will form the basis of eligibility. However, in the event of any variation between the audit report and NABARD's Statutory Inspection Report, the latter will be reckoned for determining the eligibility. In case of any reason beyond the control of the bank, the bank is unable to fulfil the eligibility criteria, NABARD may consider lower eligibility norms, with adequate comforts/ security.

3.5 अन्यथा अपात्र लेकिन चिन्हित जिलों में परिचालन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पात्रता की शर्तें Eligibility conditions for RRBs otherwise ineligible but operational in identified districts जोखिम मूल्यांकन

बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए आरबीआई के निर्देशानुसार, नाबार्ड पहचान किए गए जिलों, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (जिलों की सूची संलग्न है), के लिए एसटीआरआरबी

के तहत निधि का 25% आवंटित करेगा. इन पहचाने गए जिलों में उपयोग की निगरानी की जाएगी और तीसरे तिमाही के अंत में, यदि निधि बची हो तो, अन्य जिलों के लिए पुन: आवंटित की जा सकती है.

Following the RBI instructions to improve the flow of credit to the priority sector by banks, NABARD will allocate 25% of the corpus of funds under STRRB towards identified districts where credit flow is comparatively low (list of districts enclosed). The utilization in these identified districts will be monitored and in case of under-utilisation, if any, at the end of the third quarter, the same may be reallocated to the other districts.

भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आरआरबी के लिए पुनर्वित्त के आहरण की पात्रता, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उपरोक्त अनूछेद 3.2 और 3.4 के अनुसार अपात्र हैं, और चिन्हित जिलों में कार्यरत है को उन जिलों में ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए छूट दी जा सकती है। तदनुसार, ऐसे आरआरबी जो इन जिलों में कार्यरत हैं, को नाबार्ड रिस्क रेटिंग यानी एनबीडी 1 से एनबीडी 7 तक रेटिंग वाले बैंकों को अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त दिया जा सकता है।

Keeping in view the above guidelines from RBI, the eligibility for drawal of refinance for RRBs, which are otherwise ineligible during FY 2020-21 as per para 3.2 and 3.4 above, and operational in identified districts have been relaxed in order to improve credit flow in the identified districts. Accordingly such RRBs which are operational in these districts may be extended ST(SAO) refinance based on NABARD Risk Rating i.e. NBD1 to NBD7 only.

3.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय Merger of RRBs

विलयित बैंकों के मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 31 मार्च 2019 की स्थिति पर विशेष लेखा परीक्षा या समग्र लेखापरीक्षित स्थिति के आधार पर अधिसूचित / विलयन की तारीख पर नए / विलयित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 2020-21 के लिए ऋण सीमा का निर्धारण होगा. साथ ही, यदि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उपलब्ध हो तो उस बैंक को ऋण सीमा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है.

In case of merged banks, the financial position of the new/ merged RRBs as on the date of notification/ merger based on special audit or the aggregate audit position as on 31.03.2019 of the erstwhile RRBs will form the basis for sanction of limit to such new RRB for the year 2020-21. Further, if the statutory audit position as on 31.03.2020 is available, the same will be considered for sanction of credit limit to the banks.

4. पुनर्वित्त की मात्रा Quantum of refinance

4.1 अनुच्छेद 3.2 और 3.4 के अनुसार पात्र बैंकों के लिए For RRBs eligible as per para 3.2 & 3.4:

4.1.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त की मात्रा निम्नानुसार होगी: The quantum of refinance to RRBs will be as indicated below:

सामान्य क्षेत्र General Region

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुद्ध अनर्जक आस्तियां Net NPAs of RRB	पात्र सीमा Eligible limit

	[पात्र बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage to the realistic lending program (RLP) of eligible RRBs]
Up to 6% तक	20%
Above 6% से अधिक और and up to 12% तक	15%
Above 12% से अधिक	पात्र नहीं Not eligible

4.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शुद्ध अनर्जक आस्तियों की शर्त मे छूट के साथ 25% की अतिरिक्त ऋण-सीमा के लिए पात्र होंगे.

RRBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands, will be eligible for additional refinance of 20% with relaxation net NPAs, as under:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुद्ध अनर्जक आस्तियां Net NPAs of RRB	**पात्र सीमा Eligible limit** [पात्र बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage to the realistic lending program (RLP) of eligible RRBs]
Up to 10% तक	45%
Above 10% से अधिक और and up to 15% तक	40%
Above 15% से अधिक	पात्र नहीं Not eligible

4.1.3 पूर्वी क्षेत्र में अर्थात बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जिले (भारत सरकार के बीजीआरईआई योजना के तहत) पुनर्वित्त के लिए लागू सामान्य प्रमात्रा से 5% अधिक अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

RRBs in Eastern Region viz. Bihar, Orissa, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh States and 28 districts in Eastern Uttar Pradesh (under BGREI scheme of Govt. of India) will be eligible for additional refinance of 5% over and above the applicable normal quantum of refinance, as under:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुद्ध अनर्जक आस्तियां Net NPAs of RRB	**पात्र सीमा Eligible limit** [पात्र बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage to the realistic lending program (RLP) of eligible RRBs]
Up to 6% तक	25%
Above 6% से अधिक और and up to 15% तक	20%
Above 15% से अधिक	पात्र नहीं Not eligible

4.2 अनुच्छेद 3.2 और 3.4 के अनुसार अयोग्य और 3.5 के अनुसार पात्र बैंकों के लिए For RRBs ineligible as per para 3.2 & 3.4 and eligible as per 3.5:

4.2.1 पुनर्वित्त की सामान्य प्रमात्रा निम्नानुसार होगी The normal quantum of refinance will be as under:

बैंक का जोखिम रेटिंग Risk rating of Bank	**पात्र सीमा Eligible limit** [पात्र बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage to the realistic lending program (RLP) of eligible RRBs]
NBD1 to NBD4	20%
NBD5 to NBD7	15%
NBD8 & NBD9	पात्र नहीं Not eligible

4.2.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जोखिम रेटिंग की शर्त मे छूट के साथ 25% की अतिरिक्त ऋण-सीमा के लिए पात्र होंगे.

RRBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands, will be eligible for additional refinance of 20% with relaxation in Risk Ratings, as under:

बैंक का जोखिम रेटिंग Risk rating of Bank	**पात्र सीमा Eligible limit** [पात्र बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible RRBs]
NBD1 to NBD5	45%
NBD6 & NBD7	40%
NBD8 & NBD9	पात्र नहीं Not eligible

4.2.3 पूर्वी क्षेत्र में अर्थात बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जिले (भारत सरकार के बीजीआरईआई योजना के तहत) पुनर्वित्त के लिए लागू सामान्य प्रमात्रा से 5% अधिक अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

RRBs in Eastern Region viz. Bihar, Orissa, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh States and 28 districts in Eastern Uttar Pradesh (under BGREI scheme of Govt. of India) will be eligible for additional refinance of 5% over and above the applicable normal quantum of refinance, as under:

बैंक का जोखिम रेटिंग Risk rating of Bank	**पात्र सीमा Eligible limit** [पात्र बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible RRBs]
NBD1 to NBD4	25%
NBD5 to NBD7	20%
NBD8 & NBD9	पात्र नहीं Not eligible

4.3 वास्तविक ऋण कार्यक्रम उस वर्ष के दौरान वितरित किए जाने वाले अनुमानित फसल ऋण को कहा जाता है (अर्थात इसमें अतिदेय सहित बकाया शामिल नहीं है). वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम का आकलन पिछले तीन वर्षों (पिछले चार वर्षों के दौरान वितरित किए गए फसल ऋण के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए) के दौरान वितरित किए गए फसल ऋण में औसत वृद्धि दर के आधार पर निकाला जा सकता है. हालांकि, आधार स्तरीय वास्तविकताओं और अन्य तथ्यों (यदि हो) को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड संबंधित बैंक द्वारा आकलित वास्तविक ऋण कार्यक्रम से कम अथवा अधिक ऋण कार्यक्रम स्वीकार कर सकता है.

Realistic Lending Program (RLP) for a year has been defined as the crop loans estimated to be disbursed during the year (i.e. not the outstanding which includes overdues). The RLP for the year 2020-21 may be arrived at, on the basis of average growth rate in crop loans disbursed during previous three years (taking into account the crop loans disbursed data for last four years). However, keeping in view the ground level realities and other facts, if any, NABARD may accept RLP which may be lower or higher than the RLP worked out by the Bank.

5. पुनर्वित्त का उद्देश्य Purpose of Refinance

5.1 इस सुविधा के तहत पुनर्वित्त का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों के लिए अल्पावधि फसली ऋण के संवितरण को बढ़ाना है.

Purpose of refinance under this facility shall be to enhance disbursement of short term crop loans to small and marginal farmers.

5.2 काश्तकार किसान (टीएफ़) / मौखिक पट्टेदारों (ओएल) का वित्तपोषण Financing of Tenant Farmers (TF) / Oral Lessees (OL)

काश्तकार किसानों और मौखिक पट्टेदारों के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने संयुक्त देयता समूह योजना तैयार की है और इसे बैंकों में परिचालित किया है. बैंकों को इस योजना के तहत या अन्य योजना के तहत काश्तकार किसानों और मौखिक पट्टेदारों को अधिकतम वित्तपोषण सुनिश्चित करना चाहिए.

Considering the importance attached by Govt. of India for financing of tenant farmers and oral lessees, NABARD has prepared Joint Liability Group Scheme and circulated amongst the banks. The banks should ensure maximum financing to TF / OL under this Scheme or otherwise.

5.3 एनएमओओपी के तहत अन्य फसलें, तिलहन और एनएफ़एसएम के तहत दालें – जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत दालें और जनजातीय विकास के वित्तपोषण के लिए उप-सीमा

Sub-limits for financing Other Crops, Oilseeds under NMOOP and Pulses under NFSM - Pulses and tribals under DTP

निम्नलिखित कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड वित्तीय वर्ष के लिए अल्पावधि(मौसमी कृषि परिचालन) ऋण सीमाओं के अधीन अलग से उप ऋण सीमाओं की स्वीकृति प्रदान करेगा. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण सीमा आवेदन में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अलग ऋण सीमाओं की आवश्यकताओं का उल्लेख करे.

For financing the below-mentioned activities, separate sub-limits under ST (SAO) credit limits will be sanctioned by NABARD for the FY. Accordingly, RRB may indicate credit limit requirements for the above purposes separately, in the credit limit application.

(क a) अन्य फसलों की खेती Cultivation of other crops (OC),

(ख b) चिह्न किए ज़िलों में तिलहन और ताड़ तिल (ऑइल पाम) की खेती Cultivation of oilseeds under National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP- Oilseeds) in the identified districts,

(ग c) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन चिह्न किए ज़िलों में दलहन की खेती – दलहन Cultivation of pulses under National Food Security Mission – Pulses (NFSM – Pulses) in the identified districts and

(घ d) जनजाति समुदाय विकास के अधीन जनजातीय वर्ग की उत्पादन ऋण आवश्यकताएँ Production credit requirements of tribals under Development of Tribal Population (DTP).

6. पूनर्वित्त पर ब्याज दर Rate of interest on Refinance

जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी सहभागिता राशि सहित 7% वार्षिक अथवा इससे कम दर पर प्रति उधारकर्ता रु.3 लाख तक का फ़सली ऋण देंगे, उन्हें वर्ष 2020-21 के दौरान 4.5% वार्षिक ब्याज दर पर (भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के अधीन) अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा. यह 01 अप्रैल 2020 और उसके बाद वितरित फसली ऋण के समक्ष 01 अप्रैल 20120 को और उसके बाद आहरित पुनर्वित्त पर लागू होगी. वर्तमान की तरह ही ब्याज छमाही आधार पर 01 अक्तूबर और 01 अप्रैल को देय है. **बैंक को अनुबंध II के अनुसार वचनपत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा.**

The rate of interest on refinance will be 4.5% p.a. during F. Y. 2020-21, subject to revision, if any, by Govt. of India, for only those RRBs which provide, including their own involvement, crop loans up to Rs 3.00 lakh per borrower at 7% p.a. or less. This will be applicable to refinance drawn 01.04.2020 onwards. Interest is payable at half-yearly rests on 01 October and 01 April, as hitherto. The Bank is required to furnish undertaking as per the Annexure II in this regard.

7. परिचालन अनुशासन Operational discipline

7.1 आहरण और अदायगी Drawal and Repayment

ऋण सीमा पर किए गए आहरणों की चुकौती नाबार्ड की मांग पर करनी होगी. तथापि, इस ऋण सीमा के अंतर्गत प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और आहरण की तारीख से 12 महीने की अवधि में सामान्य रूप से देय होगा. 12 महीने की समाप्ति से पहले चुकौती (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) 15 कार्य दिवसों के न्यूनतम नोटिस के साथ या **मूलधन के साथ 15 दिनों के ब्याज भुगतान के साथ** स्वीकार की जा सकती है। हालाँकि, भुगतान की तारीख के 30 दिन बाद पुनर्भुगतान किए जाने की स्थिति में नोटिस की अवधि माफ की जा सकती है।

The amount drawn against the limit are repayable on demand. However, each drawal on the credit limit would be treated as a separate loan and would normally be repayable in a period of 12 months from the date of drawal. Repayments (partial of full) before the expiry of 12 months may be accepted by NABARD with minimum notice of 15 working days **or with interest payment of 15 days along with the principal.** The notice period may, however, be waived in case the repayment is made 30 days after the date of drawal.

7.2 अल्पावधि (मौकृप) सीमा के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पुनर्वित्त का आहरण वित्तीय वर्ष में जारी ऋण के लिए निर्धारित प्रतिशत तक सीमित रहेगा.

Drawal of refinance by RRBs under ST (SAO) limit will be restricted to applicable percentage of refinance of the loan issued during the FY.

7.3 अनतिदेय कवर NODC

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कुल अनतिदेय रक्षा (एनओडीसी) की उपलब्धता के आधार पर सभी उप सीमाओं (उप-सीमा वार एनओडीसी के बजाय) के लिए आहरण की अनुमति होगी. इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक एनओडीसी स्टेटमेंट, या तो कागजी रूप से या डिजिटल

प्लेटफॉर्म के माध्यम से, भेजना होगा जो अगले महीने की 20 तारीख तक या तो कागजी या फिर डिजिटल प्लैटफ़ार्म के माध्यम से नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए. एनओडीसी में उप-सीमावार कमी के लिए कोई दंड ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, यदि समग्र एनओडीसी उपलब्ध है तो.

Drawals by RRBs on the credit limits will be permitted subject to the availability of aggregate NODC under all sub-limits (instead of sub-limit wise NODC). For this purpose, RRBs are required to furnish to the concerned RO of NABARD, monthly NODC statement so as to reach latest by 20th of the succeeding month either physically or through digital platform. For sub-limit wise shortfall in NODC, no penal interest will be charged, if overall NODC is available.

प्रत्येक आहरण के समय, आहरण की तारीख को समग्र एनओडीसी की उपलब्धता के संबंध में निर्धारित प्रारूप में बैंक को एक प्रमाणपत्र करना होगा. इसके अलावा, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी दिन कुल अल्पावधि (मौकृप) बकाया और अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) बकाया उस तारीख को उपलब्ध समग्र एनओडीसी से अधिक नहीं होना चाहिए.

At the time of each drawal, a certificate in the prescribed format, regarding the availability of aggregate NODC, as on the date of drawal will have to be furnished by the bank. Moreover, it may be ensured by the bank that on any day, total of normal ST (SAO) outstanding and the Additional ST (SAO) outstanding should not exceed the aggregate NODC available on that date.

7.4 अनतिदेय कवर में कमी पर अतिरिक्त ब्याज Additional interest on NODC deficit

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को चाहिए कि एनओडीसी में किसी कमी (यदि हो) को तत्काल पूरा करना होगा ताकि नाबार्ड से लिए गए उधारों के लिए पर्याप्त नॉन -ओवर ड्यू कवर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. यदि किसी महीने में एनओडीसी में हुई किसी कमी को एक महीने के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो इसके नियमित होने तक संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कमी की अवधि के लिए, कमी होने की तारीख से लेकर कमी को नियमित किए जाने की अवधि तक के लिए, एनओडीसी में कमी की राशि पर 1% अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा.
RRBs should clear the deficit in NODC, if any, immediately, so as to ensure availability of adequate non-overdue cover for borrowings from NABARD. In case the deficit is not regularized within one month, from the date of occurrence of such deficit, the RRB concerned will have to pay additional interest of 1% on the amount of deficit in NODC, for the duration of the deficit, till the position is regularized..

7.5 बकाया ऋण में मूलधन और ब्याज को अलग-अलग रखना Segregation of principal and interest in the loans outstanding

वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बकाया राशि से ब्याज घटक (अतिदेय/गैर अतिदेय ब्याज) को अलग रख सकते हैं और नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता की पात्रता के लिए ऋण सीमा के आवेदन और आहरण आवेदन, दोनों में ही मूल ऋण राशि को ही रिपोर्ट करें. इसी प्रकार मासिक एनओडीसी स्टेटमेंट में ऋण के केवल मूलधन के अंश को (जारी, वसूल, बकाया और अतिदेय) ही दर्शाया जाना चाहिए.
As hitherto, RRBs may continue to exclude the interest component (overdue / non-overdue interest) from the outstanding amount and report the principal loan amount only, both in their applications for credit limit and drawal application, for arriving at the eligibility for refinance support from NABARD. Besides as hitherto, only the principal portion of loans (issued, recovered, outstanding and overdue) should be reported in the monthly NODC statements.

7.6 चूक को दूर करना Clearance of default

जो बैंक मूलधन की चुकौती, ब्याज और/अथवा किसी अन्य बकाए की अदायगी निर्धारित तारीख तक करने में नाबार्ड के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में असफल रहते हैं, वे उस चूक के दूर होने तक नाबार्ड से किसी प्रकार की पुनर्वित्त सुविधा के लिए **पात्र नहीं** होंगे. मूलधन के पुनर्भुगतान और / या ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में, बैंक डिफ़ॉल्ट की राशि पर, उस अवधि जिसके लिए डिफ़ॉल्ट बनी रहती है, नाबार्ड को 10% प्रति वर्ष ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. दंड ब्याज दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाएगा.
Banks which fail to honour their commitments to NABARD in repayment of principal, payment of interest and / or any other dues by the prescribed due dates, will **not** be eligible for any refinance facility from NABARD till the clearance of default in question. In the event of default in repayment of principal and /or payment of interest, the Bank will be liable to pay to NABARD interest on amount of default **at 10% p.a.** for the period for which the default persists. The penal interest rates are subject to revision from time to time.

7.7 निरीक्षण का अधिकार Right to inspection

नाबार्ड, बैंक के लेखा बहियों का निरीक्षण करने / निरीक्षण करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
NABARD reserves the right to inspect / get inspected the books of accounts of the bank.

7.8 विशेष ऑडिट करने के लिए अधिकार Right to cause special audit

नाबार्ड स्वयं अथवा अन्य एजेंसियों के द्वारा बैंक के लेखा बहियों और अन्य संबंधित कागजातों का विशेष लेखा परीक्षा करा सकता है ताकि यह सुनिश्चित कराया जा सके कि इनका रखरखाव प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जा रहा है और बैंक द्वारा पुनर्वित्त के नियम और शर्तों पालन किया जा रहा है.
NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material of the Banks either by itself or through other agencies to ensure that the same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

7.9 अतिरिक्त आहरण Excess drawal

नाबार्ड, फसल ऋण के संवितरण के बारे में या एनओडीसी के बारे में गलत डेटा की रिपोर्टिंग के कारण अनुमेय सीमा से अधिक आहरण के मामले को गंभीरता से लेगा. ऐसे मामलों में, नाबार्ड बैंक से पुनर्वित्त की अधिक राशि 1% के दण्ड ब्याज के साथ तीन दिनों के भीतर वापस मंगा सकता हैं.
NABARD will take a serious view in case of availment of drawals beyond permissible quantum of refinance on account of reporting of incorrect data about crop loan disbursement or of NODC. In such cases, NABARD may call back the excess refinance availed by bank within 3 days along with the penal interest of 1% pa.

8. अंतिम उपयोग की सीमा End-use of limit

निधियों में परिवर्तनों, ब्याज सहायता /फसल ऋण के दुरुपयोग को टालने तथा निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंको को सूचित 20 अगस्त 2015 के हमारे परिपत्र सं 175 /डीओआर-47/2015 में निर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी जाती है.
With a view to avoid diversion of funds, misutilization of interest subvention / crop loan and to ensure proper end use of funds for the purpose sanctioned, banks have been advised to follow the instructions contained in our Circular No. 175 / DoR-47 / 2015 dated 20 August 2015 which should be complied with.

****

अनुबंध Annexure II

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनके पत्रशीर्ष पर लिया जाने वाला वचन पत्र

UNDERTAKING TO BE OBTAINED FROM RRBs ON THEIR LETTERHEAD

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक The Chief General Manager / General Manager
नाबार्ड NABARD
---------- क्षेत्रीय कार्यालय Regional Office
---------- .

प्रिय महोदय Dear Sir,

हमें ज्ञात है की नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान किए जाने वाले पुनर्वित्त पर 4.5% की ब्याज दर में भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड समय-समय पर संशोधन, यदि कोई हो, कर सकते हैं. हमें यह भी ज्ञात है कि भारत सरकार से दी जाने वाली ब्याज सहायता में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है.

We are aware that the rate of interest on refinance provided by NABARD for ST (SAO) during the F.Y. 2020-21 is 4.5% p.a. subject to change, if any, by Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time. We are also aware that the facility of interest subvention made available by Government of India, is also subject to change from time to time.

हम समय-समय पर भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा किए गए संशोधन, यदि कोई हो, का पालन करेंगे.
We undertake to abide by the change/s, if any, as may be made by the Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time.

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully,

नाम Name: ----------
पदनाम Designation: अध्यक्ष/Chairman
दिनांक Date: ----------

List of Districts with comparatively low PSL credit

Sr #	State	District
1	Andaman Nicobar	Nicobar
2	Arunachal Pradesh	Anjaw
3	Arunachal Pradesh	Chunglang (Changlang)
4	Arunachal Pradesh	Dibang Valley
5	Arunachal Pradesh	East Kameng
6	Arunachal Pradesh	East Siang
7	Arunachal Pradesh	Kra Daadi
8	Arunachal Pradesh	Kurung Kumey
9	Arunachal Pradesh	Lohit
10	Arunachal Pradesh	Longding
11	Arunachal Pradesh	Lower Dibang Valley
12	Arunachal Pradesh	Lower Siang
13	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri
14	Arunachal Pradesh	Namsai
15	Arunachal Pradesh	Pakke Kessang
16	Arunachal Pradesh	Siang
17	Arunachal Pradesh	Tawang
18	Arunachal Pradesh	Tirap
19	Arunachal Pradesh	Upper Siang
20	Arunachal Pradesh	Upper Subansiri
21	Arunachal Pradesh	West Kameng
22	Arunachal Pradesh	West Siang
23	Assam	Baksa
24	Assam	Charaideo
25	Assam	Chirang
26	Assam	Dhemaji
27	Assam	Dhubri
28	Assam	Goalpara
29	Assam	Hailakandi
30	Assam	Hojai
31	Assam	Karbi Anglong
32	Assam	Kokrajhar
33	Assam	North Cachar Hills (Dima Hasao)
34	Assam	South Salmara-Mankachar
35	Assam	Udalguri
36	Assam	West Karbi Anglong
37	Bihar	Araria
38	Bihar	Arwal
39	Bihar	Aurangabad
40	Bihar	Banka
41	Bihar	Bhojpur

Sr #	State	District
42	Bihar	Darbhanga
43	Bihar	Gaya
44	Bihar	Gopalganj
45	Bihar	Jamui
46	Bihar	Jehanabad
47	Bihar	Katihar
48	Bihar	Khagaria
49	Bihar	Kishanganj
50	Bihar	Lakhisarai
51	Bihar	Madhepura
52	Bihar	Madhubani
53	Bihar	Munger
54	Bihar	Nalanda
55	Bihar	Nawada
56	Bihar	Paschimi Champaran (West Champaran)
57	Bihar	Purbi Champaran (East Champaran)
58	Bihar	Saharsa
59	Bihar	Samastipur
60	Bihar	Saran
61	Bihar	Sheohar
62	Bihar	Sitamarhi
63	Bihar	Siwan
64	Bihar	Supaul
65	Bihar	Vaishali
66	Chhattisgarh	Balod
67	Chhattisgarh	Balrampur
68	Chhattisgarh	Bastar
69	Chhattisgarh	Bemetara
70	Chhattisgarh	Bijapur
71	Chhattisgarh	Dakshin Bastar Dantewada (Dantewada)
72	Chhattisgarh	Gariyaband
73	Chhattisgarh	Jashpur
74	Chhattisgarh	Kondagaon
75	Chhattisgarh	Mungeli
76	Chhattisgarh	Narayanpur
77	Chhattisgarh	Sukma
78	Chhattisgarh	Surajpur
79	Chhattisgarh	Surguja
80	Chhattisgarh	Uttar Bastar Kanker (Kanker)
81	Delhi	North East Delhi
82	Gujarat	Dangs
83	Gujarat	Dohad (Dahod)
84	Haryana	Mewat (Nuh)

Sr #	State	District
85	Jharkhand	Chatra
86	Jharkhand	Dumka
87	Jharkhand	Garhwa
88	Jharkhand	Giridih
89	Jharkhand	Gumla
90	Jharkhand	Jamtara
91	Jharkhand	Khunti
92	Jharkhand	Latehar
93	Jharkhand	Pakur
94	Jharkhand	Palamau (Palamu)
95	Jharkhand	Sahebganj
96	Jharkhand	Simdega
97	Lakshadweep	Lakshadweep
98	Madhya Pradesh	Alirajpur
99	Madhya Pradesh	Anuppur
100	Madhya Pradesh	Bhind
101	Madhya Pradesh	Dindori
102	Madhya Pradesh	Mandla
103	Madhya Pradesh	Niwari
104	Madhya Pradesh	Panna
105	Madhya Pradesh	Sidhi
106	Madhya Pradesh	Singrauli
107	Madhya Pradesh	Tikamgarh
108	Madhya Pradesh	Umaria
109	Maharashtra	Gadchiroli
110	Manipur	Bishenpur (Bishnupur)
111	Manipur	Chandel
112	Manipur	Churachandpur
113	Manipur	Imphal East
114	Manipur	Kakching
115	Manipur	Kamjong
116	Manipur	Kangpokpi
117	Manipur	Noney
118	Manipur	Pherzawal (Pherzawl)
119	Manipur	Senapati
120	Manipur	Tamenglong
121	Manipur	Tengnoupal
122	Manipur	Thoubal
123	Manipur	Ukhrul
124	Meghalaya	East Garo Hills
125	Meghalaya	East Jaintia Hills
126	Meghalaya	Jaintia Hills (West Jaintia Hills)
127	Meghalaya	North Garo Hills

Sr #	State	District
128	Meghalaya	South Garo Hills
129	Meghalaya	South West Garo Hills
130	Meghalaya	South West Khasi Hills
131	Meghalaya	West Garo Hills
132	Meghalaya	West Khasi Hills
133	Mizoram	Champhai
134	Mizoram	Kolasib
135	Mizoram	Lawngtlai
136	Mizoram	Lunglei
137	Mizoram	Mamit
138	Mizoram	Serchhip
139	Nagaland	Kiphire
140	Nagaland	Longleng
141	Nagaland	Mon
142	Nagaland	Peren
143	Nagaland	Phek
144	Nagaland	Tuensang
145	Nagaland	Wokha
146	Nagaland	Zunheboto
147	Odisha	Gajapati
148	Odisha	Kandhamal
149	Odisha	Kendrapara
150	Odisha	Malkangiri
151	Odisha	Nawapara (Nuapada)
152	Odisha	Nawrangpur (Nabarangpur)
153	Sikkim	West Sikkim
154	Telangana	Komram Bheem (Asifabad)
155	Tripura	Dhalai
156	Tripura	Gomati
157	Tripura	Khowai
158	Tripura	Sepahijala
159	Tripura	Unakoti
160	Uttar Pradesh	Ambedkar Nagar
161	Uttar Pradesh	Auraiya
162	Uttar Pradesh	Azamgarh
163	Uttar Pradesh	Ballia
164	Uttar Pradesh	Balrampur
165	Uttar Pradesh	Banda
166	Uttar Pradesh	Basti
167	Uttar Pradesh	Chandauli
168	Uttar Pradesh	Deoria
169	Uttar Pradesh	Farrukhabad
170	Uttar Pradesh	Ghazipur

Sr #	State	District
171	Uttar Pradesh	Gonda
172	Uttar Pradesh	Jaunpur
173	Uttar Pradesh	Jyotiba Phule Nagar(Amroha)
174	Uttar Pradesh	Kanpur Dehat
175	Uttar Pradesh	Kaushambi
176	Uttar Pradesh	Kushi Nagar
177	Uttar Pradesh	Maharajganj
178	Uttar Pradesh	Mau
179	Uttar Pradesh	Pratapgarh
180	Uttar Pradesh	Sant Kabir Nagar
181	Uttar Pradesh	Shravasti
182	Uttar Pradesh	Sidharthanagar (Siddharth Nagar)
183	Uttar Pradesh	Sitapur
184	Uttar Pradesh	Sultanpur
185	Uttar Pradesh	Unnao
186	Uttarakhand	Bageshwar
187	Uttarakhand	Rudraprayag
188	Uttarakhand	Tehri Garhwal
189	West Bengal	Bankura
190	West Bengal	Jhargram
191	West Bengal	Puruliya (Purulia)